रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2011/ज्येष्ठ 17, 1933
No. 119] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2011/JYAISTHA 17, 1933

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2011

फा. सं. 12(89)/2009-ए.ई.आई.—1 (i) "नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी" के शुभारंभ के लिए 31 मार्च, 2011 को सम्पन्न मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय के अनुपालन में और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रचार और इलेक्ट्रिक वाहनों (हाइब्रिड वाहनों सहित) तथा उनके कलपुर्जों के विनिर्माण के लिए नेशनल काउंसिल फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनसीईएम) और नेशनल बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की (एनबीईएम) स्थापना के लिए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा "नेशनल काउंसिल फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनसीईएम)" का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1)	मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय)	—अध्यक्ष
(2)	मंत्री (विद्युत मंत्रालय)	—सदस्य
(3)	मंत्री (नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)	—सदस्य
(4)	मंत्री (शहरी विकास मंत्रालय)	—सदस्य
(5)	मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)	—सदस्य
(6)	मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	—सदस्य
(7)	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	—सदस्य
(8)	मंत्री (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय)	—सदस्य
(9)	मंत्री (पर्यावरण और वन मंत्रालय)	—सदस्य
(10)	राज्य मंत्री (वित्त)	—सदस्य
(11)	अध्यक्ष, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद्	—सदस्य
(12)	प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार	—सदस्य

मनोनीत सदस्य

आटोमोबाइल उद्योग, शैक्षिक और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र से पांच प्रसिद्ध और विशेषज्ञ सदस्य :—

(13)	श्री आनंद महिन्द्रा, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि.	—सदस्य

(14) डॉ. सुरिन्दर कपूर, अध्यक्ष सोना ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज लि. —सदस्य

(15) डॉ. वी.के. सारस्वत, सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, डीजी, डीआरडीओ और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार —सदस्य

(16) प्रो. वी.एस. रामामूर्ति, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, बेंगलूर —सदस्य

(17) बाद में मनोनीत किया जाएगा —सदस्य

(18) सचिव, भारी उद्योग विभाग —सदस्य सचिव

(ii) अध्यक्ष, एनसीईएम समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य सरकारों या केन्द्र शासित प्रदेशों से सदस्यों सहित अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकते हैं ।

(iii) **सदस्यों का कार्यकाल :—** मनोनीत सदस्य का परिषद् में कार्यकाल दो वर्ष या सरकार के अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक होगा। इन सदस्यों को, यदि आवश्यक हो, तो पुनः मनोनीत किया जा सकता है।

2. **नेशनल काउंसिल ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कार्य और शक्तियां :**—इस परिषद् के मुख्य कार्य और शक्तियां निम्नलिखित हैं:—

(क) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर मिशन कार्यक्रम की रूपरेखा के अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों, इसके मात्रात्मक परिणाम और विभिन्न स्टेकहोल्डरों की भूमिका और दायित्व सहित माइल स्टोन को अंतिम रूप देना और अनुमोदित करना ।

(ख) देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश, वित्त की आवश्यकता और सरकारी मॉडल तथा स्ट्रेटेजी पर विचार करना और सिफारिश करना/मंजूरी देना।

(ग) मुख्य अंतःक्षेप, प्रोत्साहन और आवश्यक परियोजनाओं का अनुमोदन करना, अंतःक्षेप और परियोजनाओं की वरीयता निर्धारित करना और नोडल एजेन्सी/मंत्रालय को इसके कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन देना और इन अंतःक्षेपों/परियोजनाओं के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रोडमैप को अंतिम रूप देना ।

(घ) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और इनके विनिर्माण के लिए किसी कानून, अधिनियम या अधिसूचना लाने या वर्तमान कानून, अधिनियम या अधिसूचना में संशोधन पर विचार करना और सरकार को इसकी सिफारिश करना ।

(ङ) पंजवर्षीय योजना के लिए वित्त आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने सहित भारत में विद्युत वाहन और इसके विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों के लिए विचार करना और सरकार से सिफारिश करना ।

(च) राज्य सरकारों की सहायता से प्रारंभ की गई योजनाओं और परियोजनाओं पर विचार करना और इनका अनुमोदन करना ।

(छ) विभिन्न मंत्रालयों, उद्योग, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के प्रयासों में सामंजस्य सुनिश्चित करना ।

(ज) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और पायलट परियोजनाओं के वित्त पोषण पर विचार और अनुमोदन।

(झ) प्रौद्योगिकी अर्जन, तकनीकी विशेषज्ञ प्राप्त करने और घरेलू उद्योग में प्रौद्यागिकी की उपलब्धता मुहैया कराने के लिए अग्रणी वैश्विक अनुसंधान और विकास केन्द्रों के साथ संभावित समझौता करने के लिए संभावित सरकारी प्रोत्साहनों/वित्तपोषण में सहयोग, व्यवसाय मॉडल और सरकारी प्रोत्साहन तथा क्रियाविधि, पर विचार करना और इनकी सिफारिश करना।

(ट) विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और अंतःक्षेपों की प्रगति का पर्यवेक्षण, समीक्षा और किसी विशेष कार्यक्रम/योजना, यदि काई है, के अंशतः या पूर्णतः संवर्धन, संशोधन और समापन का प्रस्ताव देना।

(ठ) एनसीईएम विविध मंत्रालयों के बीच मतभेदों, यदि कोई हों, को सुलझाने के लिए अंतिम प्राधिकरण होगा।

(ड) राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के क्षेत्र में आने वाले तथा इनसे सीधे संबंधित मामलों में, इनके विचारों और चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

(ढ) कोई अन्य भूमिका, जो इसे दी जाए।

3. नेशनल काउंसिल फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एसीईएम) उपर्युक्त दायित्वों के निर्वहन के लिए समय-समय पर बैठक करेगा। एनबीईएम एनसीईएम को सहायता देगा ।

4. फिलहाल, नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैटिस) और अपने गठन के बाद नेशनल आटोमोटिव बोर्ड (प्रस्तावित) एनबीईएम और एनसीईएम के सचिवालय और तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेगा ।

अम्बुज शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2011

F. No. 12(89)/2009-AEI.—1(i) In pursuance of the decision of the Cabinet in its meeting held on 31st March, 2011 for the launch of the "National Mission for Electric Mobility" and for setting up of National Council for Electric Mobility (NCEM) and National Board for Electric Mobility (NBEM) to propagate electric mobility and manufacture of electric vehicles (including hybrid vehicles) and their components, the Central Government hereby constitutes the "National Council for Electric Mobility (NCEM)" with the following members, namely:—

(1)	Minister (Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises)	—Chairman
(2)	Minister (Ministry of Power)	—Member
(3)	Minister (Ministry of New and and Renewable Energy)	—Member
(4)	Minister (Ministry of Urban Development)	—Member
(5)	Minister (Ministry of Road Transport and Highways)	—Member
(6)	Minister (Ministry of Petroleum and Natural Gas)	—Member
(7)	Deputy Chairman, Planning Commission	—Member
(8)	Minister (Ministry of Science and Technology)	—Member
(9)	Minister of State (Ministry of Environment and Forests)	—Member
(10)	Minister of State (Finance)	—Member
(11)	Chairman, National Manufacturing Competitive Council	—Member
(12)	Principal Scientific Advisor to the Prime Minister	—Member

Nominated Members:

Five members of eminence and expertise from the area of automobile industry, academia and research and development:—

(13)	Mr. Anand Mahindra — Vice Chairman and MD, Mahindra & Mahindra Ltd.	—Member
(14)	Dr. Surinder Kapur — Chairman Sona Group of Industries Ltd.	—Member
(15)	Dr. V.K Saraswat - Secretary, Department of Defence Research and Development, DG, DRDO and Scientific Advisor to Defense Minister	—Member
(16)	Prof. V.S. Ramamurthy, Director, National Institute of Advanced Studies, Bangalore	—Member
(17)	To be nominated later	—Member
(18)	Secretary, Department of Heavy Industry	—Member Secretary

(ii) The Chairman, NCEM may also co-opt additional members including members from the State Governments or Union Territories, as required, from time to time.

(iii) **Tenure of members:** The nominated members will have a tenure of two years on the council, or until further Government order, whichever is earlier. These members can be re-nominated for additional terms, if needed.

2. **Functions and Powers of National Council on Electric Mobility** : The functions and powers of the Council would be as under:—

(a) To finalise and approve the short-term and long-term objectives of the mission program on electric mobility, its quantifiable outcomes and the milestones along with roles and responsibilities of the various stakeholders.

(b) Consider and recommend/approve overall broad policy guidelines, required fund requirements and governance models and strategies for promoting electric mobility and for encouraging manufacture of electric vehicles in the country.

(c) To approve the key interventions, projects and incentives required, prioritize these interventions, projects. Approve the nodal agency/ministry for its implementation and finalise the short-term and long-term road map for these interventions/projects.

(d) To consider and recommend to the government any legislation, act or notification or amendment to an existing legislation, act or notification for promoting electric vehicles and their manufacturing in India.

(e) To consider and recommend to the government the additional resources required for promoting EV and their manufacturing in India including finalizing the resource requirements for the five year plans.

(f) To consider and approve projects and schemes to be taken up with the help of the State Governments.

(g) To synergize the efforts being made by various Ministries, industry, academia and research institutes.

(h) To consider, approve funding of and monitor the various electric mobility related R & D projects and pilot projects.

(i) To consider and approve mechanisms, collaboration, business models and possible government incentives/ interventions in funding for technology acquisition, acquisition of technical expertise and for entering into agreements with leading R & D centres globally to facilitate availability of technology to the domestic industry.

(j) To monitor, review the various projects, schemes and interventions and propose the mid-course corrections, additions and closure of parts and whole of any particular programme/scheme, if any.

(k) The NCEM shall be the final authority to resolve the differences of opinion amongst various ministries, if any.

(l) In the matters falling within the domain of State Governments/Local bodies and directly related to them, their views and concerns will also be taken into account.

(m) Any other role that is assigned to it.

3. The National Council for Electric Mobility would meet periodically, to discharge the above functions. The NCEM will be assisted by the NBEM.

4. Presently, NATRiP Implementation Society (NATIS) and subsequently, National Automotive Board (proposed), after its formation, would function as technical advisor and secretariat of the NCEM and NBEM.

AMBUJ SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2011

फा. सं. 12(89)/2009-ए.ई.आई.—1.(i) "नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी" के शुभारंभ के लिए 31 मार्च, 2011 को सम्पन्न मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय के अनुपालन में और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रचार और इलेक्ट्रिक वाहनों (हाइब्रिड वाहनों सहित) तथा उनके कलपुर्जों के विनिर्माण के लिए नेशनल काउंसिल फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनसीईएम) और नेशनल बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनबीईएम) की स्थापना के लिए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा "नेशनल बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनबीईएम)" का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1)	सचिव (भारी उद्योग विभाग)	—अध्यक्ष
(2)	सचिव (आर्थिक कार्य विभाग)	—सदस्य
(3)	सचिव (राजस्व विभाग)	—सदस्य
(4)	सचिव (विद्युत मंत्रालय)	—सदस्य
(5)	सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)	—सदस्य
(6)	सचिव (शहरी विकास मंत्रालय)	—सदस्य
(7)	सचिव (नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)	—सदस्य
(8)	सचिव (पर्यावरण और वन मंत्रालय)	—सदस्य
(9)	सचिव (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)	—सदस्य
(10)	सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	—सदस्य
(11)	सचिव (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)	—सदस्य
(12)	सचिव, योजना आयोग	—सदस्य
(13)	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद्	—सदस्य
(14)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नैट्रिप/अध्यक्ष, राष्ट्रीय आटोमोटिव बोर्ड (एनएबी)	—सदस्य
(15)	अध्यक्ष, सोसायटी फॉर इण्डियन आटोमोबाइल मैन्युफेक्चरर्स (एसआईएएम)	—सदस्य
(16)	अध्यक्ष, आटो कंपोनेंट मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए)	—सदस्य
(17)	अध्यक्ष, सोसायटी ऑफ मैन्युफेक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल (एसएमईवी)	—सदस्य
(18)	अध्यक्ष बैटरी मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन	—सदस्य

मनोनीत सदस्य

आटोमोबाइल उद्योग, शैक्षिक और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र से छः प्रसिद्ध और विशेषज्ञ सदस्य :—

(19) श्री चेतन मैनी, चीफ ऑफ टेक्नॉलोजी और स्ट्रेटेजी अधिकारी तथा उपाध्यक्ष महिन्द्रा रेवा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी लि. —सदस्य

(20) श्री मुकेश भंडारी, अध्यक्ष और सीटीओ, इलेक्ट्रोथर्म लि. —सदस्य

(21) डा. अरुण जौरा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इण्डिया इंजीनियरिंग सेंटर-एटन कार्पोरेशन —सदस्य

(22) श्री विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड —सदस्य

(23) प्रो. एच. पी. खींचा, प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलूर —सदस्य

(24) बाद में मनोनीत किया जाएगा —सदस्य

(25) संयुक्त सचिव (आटोमोबाइल डिवीजन के प्रभारी) —सदस्य-सचिव

(ii) एनबीईएम समय-समय पर आवश्कतानुसार राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेशों से सदस्यों सहित अतिरिक्त सदस्य सहयोजित कर सकेगा ।

(iii) **सदस्यों की पदावधि :-** मनोनीत सदस्य की परिषद् में पदावधि दो वर्ष या सरकार के अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक होगी। इन सदस्यों को, यदि आवश्यक हो, तो पुनः मनोनीत किया जा सकता है।

2. **नेशनल बोर्ड ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कार्य और शक्तियां :**—इस बोर्ड के मुख्य कार्य और शक्तियां निम्नलिखित हैं:—

(क) अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना की जांच, निर्माण और प्रस्ताव करना तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर मिशन कार्यक्रम की रूपरेखा, इसके उद्देश्य, मात्रात्मक परिणाम और विभिन्न स्टेकहोल्डरों की भूमिका और दायित्व ।

(ख) देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी अंतःक्षेप और संभावित स्ट्रेटेजी और दिशा-निर्देश का प्रस्ताव और संस्तुति करना ।

(ग) मुख्य अंतःक्षेप, प्रोत्साहन और आवश्यक परियोजनाओं का प्रस्ताव और विश्लेषण करना, अंतःक्षेप की वरीयता निर्धारित करने का प्रस्ताव करना और नॉडल एजेन्सी/मंत्रालय को इसके कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन देना और इन अंतःक्षेपों/परियोजनाओं के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रोडमैप का प्रस्ताव करना ।

(घ) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और इनके विनिर्माण के लिए किसी व्यवस्थापन, अधिनियम या अधिसूचना लाने या वर्तमान व्यवस्थापन, अधिनियम या अधिसूचना में संशोधन के लिए जांच करना और राष्ट्रीय परिषद् को प्रस्ताव देना ।

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परियोजनाओं, योजनाओं, अध्ययनों, अंतःक्षेपों और पहलों का मूल्यांकन और तथा इसके लिए आवश्यक वित्त की संस्तुति करना ।

(च) इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सिस्टम और चार्जिंग अवसंरचना के मानकीकरण को बढावा देना ।

(छ) विभिन्न स्टेकहोल्डर मंत्रालयों, उद्योग, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के प्रयासों में सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए नियमित विचार-विमर्श करना । समन्वय करना और कोई बाधा हो, तो सुलझाना ।

(ज) स्ट्रेटेजी तैयार करना और एनसीईएम के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और अन्य स्टेकहोल्डरों को निदेश देना ।

(झ) एनसीईएम द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना और इसकी रिपोर्ट देना ।

(ट) विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय करना और मतभेद, यदि कोई है, तो उसे सुलझाना ।

(ठ) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और पायलट परियोजनाओं की जांच, संस्तुति तथा पर्यवेक्षण और समीक्षा करना ।

(ड) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न क्रियाविधि और संभावित बिजनिस मॉडलों की जांच और प्रस्ताव करना ।

(ढ) प्रौद्योगिकी अर्जन, तकनीकी विशेषज्ञ प्राप्त करने और घरेलू उद्योग में प्रौद्योगिकी की उपलब्धता मुहैया कराने के लिए अग्रणी वैश्विक अनुसंधान और विकास केन्द्रों के साथ संभावित समझौता की संभावनाओं का पता लगाना और सहयोग की सिफारिश करना ।

(ण) विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और अंत:क्षेपों की प्रगति का पर्यवेक्षण, समीक्षा और रिपोर्ट देना तथा मध्यकालीन सुधार, यदि कोई है, के लिए एनसीईएम को प्रस्ताव देना । किसी विशेष कार्यक्रम/योजना, यदि कोई है, के अंशत: या पूर्णत: संवर्धन, संशोधन और समापन की अनुशंसा करना ।

(त) बोर्ड यदि आवश्यक समझे, तो विभिन्न विशेष पहलुओं की जांच के लिए उप समितियां भी बना सकता है।

(थ) कोई अन्य भूमिका जो इसे दी गई है ।

3. नेशनल बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनबीईएम) उपर्युक्त दायित्वों के निर्वहन और एनसीईएम को सहायता देने के लिए समय-समय पर बैठक करेगा ।

4. फिलहाल, नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैटिस) और अपने गठन के बाद नेशनल आटोमोटिव बोर्ड (प्रस्तावित) एनबीईएम के सचिवालय और तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेगा ।

अम्बुज शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2011

F. No. 12(89)/2009-AEI.— In pursuance of the decision of the Cabinet in its meeting held on 31st March , 2011 on launch of the "National Mission for Electric Mobility" and for setting up of National Council for Electric Mobility (NCEM) and National Board for Electric Mobility (NBEM) to propagate electric mobility and manufacture of electric vehicles (including hybrid vehicles) and their components, the Central Government hereby constitutes the "National Board for Electric Mobility (NBEM)" with the following members, namely :—

(1)	Secretary (Department of Heavy Industry)	—Chairman
(2)	Secretary (Department of Economic Affairs)	—Member
(3)	Secretary (Department of Revenue)	—Member
(4)	Secretary (Ministry of Power)	—Member
(5)	Secretary (Ministry of Road Transport and Highways)	—Member
(6)	Secretary (Ministry of Urban Development)	—Member
(7)	Secretary (Ministry of New & Renewable Energy)	—Member
(8)	Secretary (Ministry of Environment & Forests)	—Member
(9)	Secretary (Department of Industrial Policy & Promotion)	—Member
(10)	Secretary (Ministry of Petroleum and Natural Gas)	—Member
(11)	Secretary (Ministry of Science & Technology)	—Member
(12)	Secretary, Planning Commission	—Member
(13)	Joint Secretary, National Manufacturing Competitive Council	—Member
(14)	CEO, NATRiP/Chairman, National Automotive Board (proposed)	—Member
(15)	President, Society for Indian Automobile Manufactures (SIAM)	—Member
(16)	President, Automobile Component Manufacturers Association of India (ACMA)	—Member
(17)	President, Society of Manufacturers of Electric Vehicle (SMEV)	—Member
(18)	President, Battery Manufacturers Association	—Member

Nominated Members:

Six members of eminence and expertise from the area of automobile industry, academia and research and development :—

(19)	Mr. Vikram Shreekant Kirloskar, Chairman & Managing Director, Kirloskar Systems Limited	—Member
(20)	Mr. Chetan Maini, Chief of Technology & Strategy Officer and Deputy Chairman, Mahindra REVA Electric Vehicle Company Limited	—Member
(21)	Mr. Mukesh Bhandari, Chairman & CTO, Electrotherm Ltd.	—Member
(22)	Dr. Arun Jaura, Vice- President of Technology, India Engineering Centre - Eaton Corporation	—Member
(23)	Prof. H. P. Khincha, Professor, Electrical Engineering Department, Indian Institute of Science, Bangalore	—Member
(24)	To be nominated later	—Member
(25)	Joint Secretary (in-charge automobile division)	—Member- Secretary

(ii) The NBEM may also co-opt additional members including members from State Governments or UNION territories as required, from time to time.

(iii) **Tenure of the members:** The nominated members will have a tenure of two years on the Board or until further Government orders, whichever is earlier. These members can be re-nominated for additional terms, if needed.

2. **Functions and powers of National Board on Electric Mobility.**—The main functions and powers of the Board shall include :—

(a) To examine, formulate and propose the short-term and long-term plan and contours of the mission program on electric mobility, its objectives, quantifiable outcomes and roles and responsibilities of the various stakeholders.

(b) To propose and recommend policy guidelines and government interventions and possible strategies for promoting electric mobility and for encouraging manufacture of electric vehicles in the country.

(c) To analyse and propose the key interventions, incentives and projects required, propose the prioritizations of the interventions and recommend the nodal agency/ministry for its implementation and propose the short-term and long-term road map for these interventions/projects.

(d) To examine and propose to the National Council the introduction of any legislation, act or notification or amendment to an existing legislation, act or notification for promoting electric vehicles and their manufacturing in India.

(e) To evaluate and recommend to the NCEM the projects, schemes, studies, interventions and initiatives for the 12th Five Year Plan and the fund requirements for the same.

(f) To expedite the standardization of electric vehicle charging systems and charging infrastructure.

(g) To hold regular deliberations to ensure synergy amongst the efforts of the various stakeholder Ministries, industry, academia and research institutes. Co-ordinate and resolve bottlenecks, if any.

(h) To formulate strategies and give directions to various ministries and other stakeholders for implementing the decisions of the NCEM.

(i) To ensure and report compliance of action for the various decisions taken by NCEM.

(j) To Co-ordinate and resolve differences of opinion amongst various ministries, if any.

(k) To examine, recommend and monitor and review electric mobility related R & D projects and pilot projects.

(l) To evaluate and propose various mechanisms and possible business models for popularizing electric mobility.

(m) To explore and recommend possible collaborations and tie ups for technology acquisition, obtaining technical experts and exploring possible agreements with leading R & D centres globally to facilitate availability of technology to the domestic industry.

(n) To monitor, review and report the progress of various projects, schemes and interventions and also suggest mid course corrections, if any, to the NCEM. Recommend the additions, modifications and closure of parts and whole of any particular programme/scheme, if any.

(o) The Board may as deem fit also constitute Sub-Committees for looking into the various specific aspects.

(p) Any other role that is assigned to it.

3. The National Board for Electric Mobility (NBEM) would meet periodically, to discharge the above functions and shall assist the NCEM.

4. Presently, NATRiP Implementation Society (NATIS) and subsequently, National Automotive Board (Proposed), after its formation, would function as technical advisor and secretariat of the NBEM.

AMBUJ SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.